उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-3
संख्या बी-3-4316/दस-1998
लखनऊ: दिनाँक: 02 दिसम्बर, 1998

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत किये जाने की अनुमन्यता से संबंधित शासनादेश संख्या बी-3-6234/दस-89-411(1)/89-कम्प्यूटर, दिनाँक 7.12.89 एवं शासनादेश संख्या बी-3-4180/दस-98, दिनाँक 17.11.98 में आंशिक संशोधन करते हुये अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या बी-3-6234/दस-89-411(1)/89-कम्प्यूटर, दिनाँक 7.12.89 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय अग्रिम की सीमा रुपये 45,000/- (रुपये पैंतालिस हजार मात्र) को भारत सरकार की भाँति बढ़ाकर प्रथम अवसर पर रुपये 30,000/- तथा दूसरे एवं बाद के अवसरों के लिये कम से कम 3 वर्ष के अन्तराल में रुपये 75,000/- (रुपये पचहत्तर हजार मात्र) स्वीकृत किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेगी।

2- शासनादेश संख्या बी-3-4180/दस-98, दिनाँक 17.11.1998 द्वारा उक्त शासनादेश दिनाँक 7.12.89 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय व मोटरकार क्रय अग्रिम को एक दूसरे से अलग (delink) करने सम्बन्धी आदेश पूर्व में निर्गत किया जा चुका है।

3- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय अग्रिम स्वीकृत करने हेतु उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या बी-3-6234/दस-89-411(1)/89, कम्प्यूटर, दिनाँक 7.12.89 एवं शासनादेश संख्या बी-3-4180/दस-98, दिनाँक 17.11.1998 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4- यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा तथा पूर्व स्वीकृत मामलों में, जिनमें सम्बन्धित अधिकारी को धनराशि आहरित कर भुगतान किया जा चुका है, उनमें पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

5- वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-5, भाग-1 में तदनुसार आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

ह मु0 हलीम खाँ ह
सचिव, वित्त
ह बजट संसाधन एवं वित्त आयोग ह

संख्या बी-3-43161 ह/दस-98 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1- महालेखाकार ह लेखा एवं हकदारी ह, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार ह लेखा परीक्षा ह, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- समस्त प्र प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- राज्यपाल सचिवालय ।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6- इरल: वेज अनुभाग ।

आज्ञा से,

ह के0 सी0 मिश्र ह
विशेष सचिव।

5- वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-5, भाग-I में तदनुसार आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

ह० मु० हलीम खाँ ह
सचिव, वित्त
ह बजट संसाधन एवं वित्त आयोग ह

संख्या बी-3-43(6)ह/दस-98 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- समस्त प्र प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- राज्यपाल सचिवालय ।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6- इरला वेक अनुभाग ।

आज्ञा से,

ह के० सी० मिश्र ह
विशेष सचिव।